के बिना सभी व्यक्तियों को मत देने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। अवयस्क व्यक्तियों, पागल, दिवालिये या संविधान द्वारा मान्य अन्य किसी आधार पर अवश्य ही किसी व्यक्ति को मताधिकार से वंचित किया जा सकता है।

(b) चुनाव में उम्मीदवार बनने का अधिकार :-

नागरिकों को चुनाव में उम्मीदवार होने का समान अधिकार होना चाहिए। परंतु वैसे व्यक्ति को किन्हीं अयोग्यताओं से ग्रसित हो उसे व्यक्ति को संविधान में अनागय उम्मीदवार घोषित किया गया है।

(c) प्रार्थना-पत्र का अधिकार :-

नागरिकों को प्रार्थना-पत्र देने और इस माध्यम से अपनी शिकायतें सरकार तक पहुंचाने का अधिकार समान रूप से होना चाहिए।

(d) राजकीय नियुक्तियाँ तथा सम्मान प्राप्त करने का अधिकार:-

राजकीय नियुक्तियों तथा राजकीय सम्मान करने के लिए सभी को समान रूप से अधिकार होना चाहिए। केवल शिक्षा सेवा या किसी विशेष योग्यता के आधार पर इस संबंध में भेदभाव किया जा सकता है।

(e) विचारों की अभिव्यक्ति तथा दलीय संगठनों के निर्माण का अधिकार :-

अनुच्छेद 19 के अंतर्गत विचारों की अभिव्यक्ति का अधिकार प्रत्येक व्यक्तियों को समान रूप से प्रदान किया गया है।

3. सामाजिक समानता

सामाजिक समानता का अर्थ है कि सभी नागरिक समाज में समान दर्जा पाने का हकदार है और कोई भी विशेषाधिकारों का हकदार नहीं है। जाति और धर्म, रंग और नस्ल, समूहों और वर्गों, कुलों और जनजातियों का कोई भेद नहीं होना चाहिए। सभी को अपने व्यक्तित्व को विकसित